न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न0– 206/2021 | दर्ज दिनांक 27.07.2021
जी सी एम एस न0 2021/460 | निर्णय दिनांक 11.07.2023

राजेन्द्र बनाम मुकेश आदि

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2022 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम दुड़िया पटवार हल्का दुड़िया तहसील गुढ़ागाड़जी के भूमि खसरा न. 324, 862 कुल किता 2 कुल रकबा 5.03 है0 तथा भूमि खसरा न. 328 रकबा 0.03 है0 व खसरा न. 329 रकबा 1.84 है0 में वादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार गुढ़ागौड़जी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.07.2022 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) गुढ़ागौड़जी से पत्र क्रमांकः– भू.अ./2023/1011 दिनांक 03.05.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वकिल वादी ने सुनवाई विभाजन प्रस्ताव में कथन किया कि मेरा कलाइन्ट मेंरे सम्पर्क मे नही है। वकिल प्रतिवादी ने कथन किया कि प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी कर दी जाये। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान द्वारा कोई ऐतराज पेश नही है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.05.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.05.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

(हस्ताक्षर) 11.7.23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:50:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 11.07.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 11.7.23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा न0– 206/2021
जी सी एम एस न0 2021/460

दर्ज दिनांक 27.07.2021
निर्णय दिनांक 11.07.2023

राजेन्द्र बनाम मुकेश आदि

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी** उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ... –..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.05.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.05.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज..–............निल............... मुबलिक –.............निल................. दाबन.–............... ....निल...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –.. ....निल................ फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –... ....निल...................... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 07 सन 2023 को जारी की गई।

11.7.23
(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:50:57 IST
Reason: SelfAttested